न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2023 (डूंगरपुर डिक्री)

मोहनलाल पिता कचरा प्रजापत, निवासी टामटीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा दिनांक
28.09.2022 प्रकरण संख्या 37/2020

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री प्रेमपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजकीय पैरोकार

–––::–––

निर्णय **दिनांक 08–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टामटीया में वादी के आधिपत्य की आराजी नंबर 2554 रकबा 0.6633 हैक्टर में 0.3236 हैक्टर पड़त था 0.3397 हैक्टर चारागाह स्थित है, जिस पर वादी अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। साबिक आराजी नंबर 2554 के साबिक आराजी नंबर 2639 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा था, जिस पर वादी का 35–40 वर्षो से कब्जा होने से वादी को विवादित आराजी नंबर 2554 रकबा 0.6633 हैक्टर भूमि का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाझा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–09–2022 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 05–01–2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:35 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वक्त निर्णय प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, जिससे उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर 35–40 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जिस बाबत् उसे 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस भी दिये गये हैं एंव बेदखल करने का प्रयास किया गया है इसी कारण अपीलान्ट ने बेदखल नहीं किये जाने बाबत् प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की दाद चाही थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय पैरोकार ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में चारागाह है तथा चारागाह भूमि की खातेदारी देय नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:35 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2073 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 2554 रकबा 0.6633 हैक्टर में 0.3397 हैक्टर भूमि चारागाह एवं 0.3236 हैक्टर भूमि पड़त दर्ज है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलान्ट का उक्त भूमि में कब्जा है भी तो वह बतौर अतिक्रमी है और अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। अपीलान्ट/वादी के वाद का मूल आधार प्रतिकूल कब्जा है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि चारागाह दर्ज होने एवं अपीलान्ट का कब्जा बतौर अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 28–09–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:35 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता कचरा प्रजापत, निवासी टामटीया, तह. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर बनाम **भूमिधारी तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर**

अपील नं.....**01 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**28**.....माह.....**09**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री प्रेमपुरी गोस्वामी**...मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री राजकीय पैरोकार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 28–09–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:35 IST
Reason: SelfAttested